न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 73/2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/146

दायर दिनांक :– 14.05.2024 निर्णय दिनांक :– 15.01.2025

1. रामस्वरूप पुत्र जोधाराम जाति विश्नोई निवासी श्रीरामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी

प्रार्थी

बनाम

1. गोपालराम उर्फ गोपाराम पुत्र भोजाराम जाति विश्नोई निवासी श्रीरामपुरा तह. बाप जिला फलोदी

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थी

2. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि सरहद ग्राम श्रीरामपुरा पटवार हल्का श्रीसुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी में खसरा नम्बर 97/649 रकबा 9.8258 हैक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के पिता जोधाराम पुत्र भोजाराम तथा सगे भाई अप्रार्थी गोपालराम ने तत्कालीन खातेदार अलसीसिंह से प्रतिफल अदा कर कय थी। विक्रय नामान्तरकरण संख्या 7 ग्राम मालमसिंह की सिड संलग्न वाद पेश है। वादग्रस्त भूमि कय करने से लेकर राजस्व जमाबंदी अभिलेख चौसाला में प्रार्थी के पिता का नाम अप्रार्थी के साथ यथावत दर्ज रहा परन्तु जामबंदी चौसाला सम्वत 2051–5054 तैयार करते समय अप्रार्थी ने तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों से मिलावट कर तथाकथित शुद्वि पत्र संख्या 1 के जरिये प्रार्थी के पिता को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा कार्यवाही विधि विरूद्व तरीके से वादग्रस्त भूमि से विलोपित करवा दिया। प्रार्थी के पिता का देहान्त हो चुका है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का उतराधिकारी है और अपने 1/3 हिस्सा के खातेदारी अधिकारों के हिस्से की घोषणा करवाने का जायज अधिकारी है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तथ्यों के आधार पर सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थी अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। जिसका मूल्याकंन रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा। प्रार्थी दावेदार है तथा अप्रार्थी के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का हकदार है। प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की जारी करवाई जावे। प्रार्थी के 1/3 हिस्सा में मौके एवं राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

वकुलाय पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कहा कि ग्राम श्रीरामपुरा पटवार हल्का श्रीसुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी में खसरा नम्बर 97/649 रकबा 9.8258 हैक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के पिता जोधाराम पुत्र भोजाराम तथा सगे भाई अप्रार्थी गोपालराम ने तत्कालीन खातेदार अलसीसिंह से प्रतिफल अदा कर क्रय थी। विक्रय नामान्तरकरण संख्या 7 ग्राम मालमसिंह की सिड सलग्न वाद पेश है। वादग्रस्त भूमि क्रय करने से लेकर राजस्व जमाबंदी अभिलेख चौसाला में प्रार्थी के पिता का नाम अप्रार्थी के साथ यथावत दर्ज रहा परन्तु जामबंदी चौसाला सम्वत 2051–5054 तैयार करते समय अप्रार्थी ने तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों से मिलावट कर तथाकथित शुद्धि पत्र संख्या 1 के जरिये प्रार्थी के पिता को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा कार्यवाही विधि विरूद्ध तरीके से वादग्रस्त भूमि से विलोपित करवा दिया। प्रार्थी के पिता का देहान्त हो चुका है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का उतराधिकारी है और अपने 1/3 हिस्सा के खातेदारी अधिकारों के हिस्से की घोषणा करवाने का जायज अधिकारी है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तथ्यों के आधार पर सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थी अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। जिसका मूल्याकंन रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा। प्रार्थी दावेदार है तथा अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का हकदार है। प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की जारी करवाई जावे। प्रार्थी के 1/3 हिस्सा में मौके एवं राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश फरमावे।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुवे कहा कि ग्राम श्रीरामपुरा पटवार हल्का श्रीसुरपुरा के खेत खसरा नम्बर 97/649 रकबा 9.8258 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी के नाम दर्ज है और अप्रार्थी सं. 1 ही उक्त भूमि पर काबिज है। उक्त भूमि वादग्रस्त भूमि नहीं है। उक्त भूमि पूर्व में गोपालराम पुत्र भोजाराम व जोधराम पुत्र भोजाराम के नाम अवश्य दर्ज थी लेकिन नामान्तरकरण संख्या 7 मौजा मालमसिंह की सिड की पुश्त पर सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तरकरण का अवलोकन कर केवल गोपालराम पुत्र भोजाराम का ही अकंन किया गया है। वर्तमान में अप्रार्थी द्वारा विवादग्रस्त भूमि की पैमाईश करवायी गयी जो पैमाईश फर्द से प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि पर कब्जा व काश्त अप्रार्थी का ही है। उक्त भूमि में अप्रार्थी के अलावा अन्य किसी का कानूनन कोई हक व हिस्सा नहीं है इसलिये प्रार्थी उक्त भूमि में अपनी खातदोरी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने एवं प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होने का प्रश्न हीं पैदा नहीं होता है। अप्रार्थी के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण की जानकारी प्रार्थी को भली भांति थी। प्रार्थी अप्रार्थी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार नहीं है। रेकर्डेड खातेदार को उसके नाम दर्ज भूमि का अन्तरण करने तथा उपयोग एवं उपभोग करने से कतई रोका नहीं जा सकता है और न ही किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को हो रही है। इसलिये प्रार्थी उक्त वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार ही है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त नहीं होने से अपूर्णीय क्षति, सुविधा का संतुलन एंव प्रथम

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत एवं मिथ्या कथनों पर आधारित होने से मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का आदेश फरमावे।

हमनें पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि उक्त भूमि पूर्व में अलसीसिंह के नाम दर्ज थी। नामान्तरकरण संख्या 7 मौजा मालमसिंह की सिड के अनुसार गोपालराम पुत्र भोजाराम व जोधाराम पुत्र भोजाराम के नाम दर्ज की गयी। परन्तु नामान्तरकरण संख्या 7 की पृष्ठ पर सरपंच द्वारा टिप्पणी मे लिखा गया कि उक्त भूमि अनलसीसिंह नपे गोपालराम पुत्र भोजाराम को बेचान कर दी है। तत्पश्चात अप्रार्थी ने विवादग्रस्त भूमि की भूमि पैमाईश करवाई गयी जो तथ्य पत्रावली में आई जमाबंदी से प्रमाणित है। अप्रार्थी उक्त भूमि का वर्तमान में रेकर्डेड खातेदार है और मौके पर काबिज है।

अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत तीनो बिन्दूओं का विचार किया गया है, प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी उक्त भूमि का रेकर्डेड खातेदार है जिस पर अप्रार्थी जो वर्षो से काबिज है और प्राकृतिक पैदावार का उपयोग एवं उपभोग करता आ रहा है। अतः प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में बनना पाया जाता है।

अप्रार्थी सं. 1 उक्त भूमि पर काबिज है। अतः सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में है।

वर्तमान में अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थी को ही हो रही है। प्रार्थी ने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया है जिससे यह प्रतीत होता हो कि मौके पर प्रार्थी का कब्जा है। अस्थयी निषेधाज्ञा जारी रहते नुकसान अप्रार्थी को हो रहा है जिसकी भरपाई आर्थिक रूप से किया जाना संभव नहीं है जिससे कृषि कार्य भी वर्तमान में पुर्णतः रूका हुआ है। अतः उक्त बिन्दु भी अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में साबित होता है।

अतः अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं के अध्ययन करने से प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायालय उचित नहीं समझता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया है। पत्रावाली फैसल सुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुखीराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)